"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 474] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 2 नवम्बर 2017 — कार्तिक 11, शक 1939

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–12/आठ–परि./2017(पार्ट). — यतः, राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि नवीन गठित कमीशन के लिए, न्यायिक अनुभव युक्त एकल अधिकारी को, किसी विधि के अंतर्गत कोई आदेश पारित करने या कोई निर्णय लेने में सक्षम अपीलीय प्राधिकारी अथवा क्षेत्रीय प्राधिकारी अथवा न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में सम्मिलित करते हुए, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार गठित किया जाये।

अतएव, मोटरयान अधिनियम 1988 (1988 का 59) की धारा 68 की उप–धारा (1) सहपठित धारा 68 की उप–धारा (2) के द्वितीय परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1011/तक.–506/टीसी/2008, दिनांक 6 जून, 2008 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (1) एवं कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों सहित उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा दर्शित मुख्यालय के लिए, उक्त अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन, ऐसे प्राधिकारियों को उनके तत्संबंधी क्षेत्रों के लिए, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का निष्पादन करने के लिए, कॉलम (3) में यथा उल्लिखित संभागायुक्त को सम्मिलित करते हुए, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का गठन करती है, अर्थात् :–

अनुसूची

क्षेत्र का नाम	क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का मुख्यालय
(1)	(2)	(3)	(4)
रायपुर	रायपुर, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार–भाटापारा के राजस्व जिले	संभागायुक्त रायपुर संभाग	रायपुर
जगदलपुर	जगदलपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, कोण्डागांव के राजस्व जिले	संभागायुक्त जगदलपुर संभाग	जगदलपुर
बिलासपुर	बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, कोरबा, रायगढ़, मुंगेली के राजस्व जिले	संभागायुक्त बिलासपुर संभाग	बिलासपुर
अंबिकापुर (सरगुजा)	अंबिकापुर (सरगुजा), कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर नगर के राजस्व जिले	संभागायुक्त अंबिकापुर संभाग	अंबिकापुर
दुर्ग	दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, बालोद, बेमेतरा के राजस्व जिले	संभागायुक्त दुर्ग संभाग	दुर्ग

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 26th October 2017

NOTIFICATION

No. F5-12/VIII/Trans./2017(Part). — Whereas, the State Government considers it necessary to constitute a Regional Trasnport Authority consisting of a Official with judicial experience as an Appellate Authority or a Regional Authority or as an Adjudicating Authority competent to pass any order or take any decision under any law, for newly constituted commission;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 68 read with second proviso to sub-section (2) of Section 68 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and in supersession of this department's notification No. 1011/Tech-506/TC/2008, dated 6th June, 2008, the State Government, hereby, constitutes a Regional Transport Authority consisting of the Divisional Commissioner as mentioned in column (3) of the Schedule below for the areas specified in column (1) and in column (2) with headquarters as shown in column (4) of the said Schedule to exercise and discharge the powers and functions conferred by or under the said Act on such authorities for their respective areas, namely :-

SCHEDULE

Name of the Region	Areas included in the Region	Regional Transport Authority	Head-Quarters of the Regional Transport Authority
(1)	(2)	(3)	(4)
Raipur	Revenue District of Raipur, Mahasamund, Dhamtari, Gariyabandh, Balodabazar-Bhatapara	Commissioner Raipur Division	Raipur
Jagdalpur	Revenue District of Jagdalpur, Kanker, Dantewada, Narayanpur, Bijapur, Sukma, Kondagaon	Commissioner Jagdalpur Division	Jagdalpur
Bilaspur	Revenue District of Bilaspur, Janjgir-Champa, Korba, Raigarh, Mungeli	Commissioner Bilaspur Division	Bilaspur
Ambikapur (Sarguja)	Revenue District of Ambikapur (Sarguja), Koriya, Surajpur, Balrampur, Jashpur Nagar	Commissioner Ambikapur Division	Ambikapur
Durg	Revenue District of Durg, Rajnandgaon, Kabirdham, Balod, Bemetara	Commissioner Durg Division	Durg

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIJAY KUMAR DHURVE, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017